

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी-मांगीलाल आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:- 338 / 2019

1. सीताराम
2. नानकराम
3. महावीर
4. हरिशचंद्र

पि० लेखराम जाति नायक निवासी चक 4-5 आरडबल्यू बी मसीतांवाली  
तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम्

1. सिलोचना देवी पत्नी भंवरा पुत्री लेखराम
2. निर्मला देवी पत्नी सोहनलाल पुत्री लेखराम
3. कमला पत्नी जसवंत पुत्री लेखराम जाति नायक निवासी बोलावाली तहसील  
पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मांगीलाल आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते  
इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विजयपाल पारीक वकील वादीगण मिन  
जामिन मुदई श्री हितेन्द्र मोहन सारस्वत प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर  
हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि क.वादी सीताराम को चकनं० 1 एजी के  
खाता सं० 44/42 के प०न० 210/343 मु० 13 किलानं० 1/1/.051 है०, 6/.016  
है० उतरी-पूर्वी दिशा का कॉर्नर, 9/.227 है० पश्चिमी दिशा, 10/.253 है० कुल 0.547  
है० ख.नानकराम को चकनं० 1 एजी के खाता सं० 44/42 के प०न० 210/343 मु.  
13 किलानं० 8/.209 है० पश्चिमी दिशा, 9/.026 है० पूर्वी दिशा में किलानं० 8 के  
चिपते दक्षिण दिशा मे एक बिश्वा छोड़कर, प०न० 211/343 मु० 12 किलानं० 1/3/  
.203 है० कमाण्ड व 1/2/.025 है० गै०मु० खाला, 10/2/.059 है० उतरी दिशा,  
कुल 0.497 है० कमाण्ड व .025 है० गै०मु० खाला कुल 0.522 है० मयगै०मु० ग.वादीसं०  
3 महावीर को चकनं० 1 एजी के खाता सं० 44/42 के प०न० 210/343 मु० 13  
किलानं० 6/.224 है०, 7/.240 है०, 8/.031 है० पूर्वी दिशा, कुल 0.495 है० आराजी  
घ.हरिशचंद्र को चकनं० 1 एजी के खाता सं० 44/42 के प०न० 211/343 मु० 12  
किलानं० 10/2/.169 है० दक्षिणी दिशा का हिस्सा, 11/2/.227 है०, 20/1/.101  
है०, कुल 0.497 है० के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है तथा चकनं० 1 एजी  
के खाता सं० 44/42 के प०न० 210/343 मु० 13 किलानं० 6,7,8 प्रत्येक में .013 है०  
चौडा रास्ता पूर्व से पश्चिम,दक्षिण दिशा की तरफ रास्ता स्वीकृत किया जाता  
है।उपरोक्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन कर वादीगण की भूमि का खाता पृथक से  
कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किये जाने व चकनं० 1 एजी के  
खातासं० 44/42 में से लेखराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते  
है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की  
स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा  
शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें। बसब्त मेरे  
दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..24.08.2020.को जारी किया गया।



*Maangilal*  
( मांगीलाल )  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी